Annexure-1

संख्या 5559 पत्रावली सं०-1AG 453977 दिनांक 14-12-07

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1592 2007-2008

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एन० बी० एस० शिक्षा निकेतन [illegible] वाली करबला निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जौनपुर, [illegible]

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 11-12-2012 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 12 दिसम्बर दो हजार सात को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

[illegible]

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

[illegible]

01, 19

Annexure - 1

185455

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक........................

प्रारूप — 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 7258

दिनांक 15-12-17

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र

(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2517 पत्रावली संख्या एजी 45397 दिनांक 2007-2008

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि एन0डी0एस0शिक्षा निकेतन समिति, गली करबला,निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जी.टी.रोड एटा। .... को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 1592 / 2007–08 दिनांक 13-12-2007 को दिनांक 13-12-2017 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1000 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 11-12-2017

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0 / टी0 / आफसेट)।

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- एन.बी.एस. शिक्षा निकेतन समिति
2. संस्था का पता :- गली करबला निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जी0टी0रोड एटा
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य :- निम्नलिखित होगें ।

१–संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व बच्चो में नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक, रचनात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

२–संस्था का उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राइमरी, जू०हा०स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय, तकनीक विद्यालय, प्रबन्धकीय व व्यवसायिक शिक्षा हेतु उच्च कक्षाओं व कोर्सो के संचालन हेतु विद्यालयों की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।

३–संस्था का उद्देश्य निर्धन असहाय, विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की भी व्यवस्था करना ।

४–संस्था का उद्देश्य क्रीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेल सामिग्री की उचित व्यवस्था करना ।

५–संस्था का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार समाज कल्याण विभागों आदि से दान, अनुदान, एवं चंदा आदि प्राप्त करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना ।

६–केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम/बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक–युवतियों के कल्याण व उन्हें आत्म–निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभरोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग, पेंटिग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर–शिक्षण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्टरनेट, इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रोनिक्स, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल, डिजायनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म–निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

७– आश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी, कार्यक्रम चलाना, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कला केन्द्रों व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, सेवक योजकों द्वारा अल्पआयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में सेवा योजित न होने देना ।

पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–जगह वृक्षारोपण कराना एव पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को चलाना ।

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम :– एन0 वी0 एस0 शिक्षा निकेतन समिति,
2. संस्था का पता :– गली करबला निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जी0टी0 रोड, एटा।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– उत्तर प्रदेश होगा ।
4– संस्था का उद्देश्य :– स्मृतिपत्र के अनुसार उद्देश्य होगें ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–

जो सज्जन इस समिति के नियमो विनियमों को मानते होगें नैतिक आचरण वाले होगें, एवं सदस्यता शुल्क समय से देने के लिये तैयार होगें वे सज्जन इस समिति के सदस्य बनाये जावेगें। जो निम्न वर्ग के होगें :–

1. संरक्षक सदस्य :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/–रू0 सदस्यता शुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें वे संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

2. आजीवन सदस्य :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/रू0 सदस्यता शुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगें वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

3. साधारण सदस्य :– जो सज्जन इस संस्था को 250/रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप मे दिया करेंगे वे इस संस्था के साधारण सदस्य होगें ।

4. विशिष्ट सदस्य :– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगें, सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यो, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी, ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा, संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव मे मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6. सदस्यता की समाप्ति :–

1– सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2– आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3– किसी न्यायलय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4– सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5– संस्था की लगातार तीन बैठकों मे बिना कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर ।
6– किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
7– सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7. संस्था के अंग :– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति
8. साधारण सभा :–

अ. गठन :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जावेगा।

ब. बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष मे एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
कार्या. डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
08/7/2021

Geetika Singh

द. गणपूर्ति:- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था की प्रबन्धसमिति का समय समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2- नियमों विनियमों मे संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत /अस्वीकृत करना

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा के 2/3 बहुमत से 07 सदस्यों को चुन कर किया जायेग, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक /उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें। संस्था की प्रबन्धसमिति को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जायेगा जो कि कम से कम 7 व अधिकतम 15 तक होगी ।

ब. बैठकें :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष मे दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठको की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति/साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1- संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों का सुलझाना ।

2- नियमों विनियमों मे संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

4- संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मन्त्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानो निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना, तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

5. संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना।

ल. कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारीयों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :-

1- संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2- मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बरावर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Geetika Singh

3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की देखभाल करना ।

2. उपाध्यक्ष :–

1– अध्यक्ष की अनुपस्थित मे उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना।

2– सामान्य स्थिति मे अध्यक्ष के कार्यों मे उनका सहयोग करना ।

3. प्रबन्धक/सचिव :–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2– संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

3– संस्था की चल अचल सम्पति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यता शुल्क व आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना ।

4– संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो करना ।

5– संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों/विद्यालयो मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निस्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

6– संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक विलेखों बिल–वाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7– संस्था की ओर से समस्त प्रकार अदालती कार्यवाही की पैरवी करना व संस्था के समस्त मूल अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

8– संस्था की उपसमिति का गठन करना तथा उनके पदाधिकारियों/सदस्यों को नामित करना ।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव :–

1– प्रबन्धक/सचिव की उपस्थिति मे उनके कार्यों को करना ।

2– प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये कार्यो को करना ।

5. कोषाध्यक्ष:–

1– संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय व्यय बही पत्रों को तैयार करना।

2– कोष को संस्था के खाते मे जमा करना एवं दान, अनुदान, चंदा आदि प्राप्त करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों मे संशोधन प्रक्रिया–

संस्था के नियमों विनियमों मे संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था–

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा । जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर व आवश्यकतानुसार चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Atul Kr Singh शैलम सिंह चित्रा सिंह Geetika Singh

...के अभिलेख :–

1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– कैशबुक, रसीद बुक,
4–एजेण्डा रजिस्टर 5– निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

16 प्रतिबन्ध :–

निम्न शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्धसमिति में निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए रक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेशन एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होगी हैं तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

5– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियो के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन मान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्तो बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्त उपलब्ध करायें जायेगें ।

7– राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी ।

8– विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही हैं तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जाएगी ।

9– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

10– उपर्युक्त क्रम 1 से 09 में कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा ।

11– उपर्युक्त क्रम 1 से लेकर 10 तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सम्मिलित करना होगा ।

इस प्रतिबन्ध के अनुसार समिति विद्यालयों के तत्वाधान में संचालित विद्यालयों के समस्त कार्य कलापों का संचालन करने को प्रस्तुत व कटिबद्ध हैं ।

17. संस्था का विघटन :–

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा– 13 व 14 के अतंगर्त की जायेगी ।

दिनॉक :–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या. उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
6-8-2021

Atul Kr. Singh
नीलम सिंह
चित्रा सिंह
Geetika Singh

संस्था का नाम :- N.B.S शिक्षा निकेतन समिति
संस्था का पता – गली करबला निकट रोड वेज बस स्टैण्ड जी.टी. रोड एटा

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम पता		पद	व्यवसाय
1	श्रीमती नीलम सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	सराय मिश्र एटा	अध्यक्ष	गृहणी
2	श्री मेघा सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	"	उपाध्यक्ष	"
3	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री महीपाल सिंह	"	प्रबन्धक / सचिव	व्यापार
4	श्री अंकित सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	"	उपप्रबन्धक / उपसचिव	
5	श्री अतुल कुमार सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	"	कोषाध्यक्ष	"
6	श्री Y. K. सिंह	श्री [illegible] सिंह	टी037 पकिट मेरठ	सदस्य	सेवा निवृत्त
7	श्रीमती कुसुम सिंह	श्री Y. K. Singh	"	सदस्य	गृहणी
8	श्रीमती [illegible] सिंह	श्री Y. K. Singh	141, [illegible] इन्द्रापुरम [illegible]	सदस्य	सर्विस
9	श्रीमती [illegible] सिंह	श्री [illegible] सिंह	"	सदस्य	गृहणी
10	श्री डा. आभवीर सिंह	श्री Y. K. Singh	"	सदस्य	सर्विस
11	श्रीमती शिल्पा [illegible]	श्री आभवीर सिंह	"	सदस्य	गृहणी
12	श्री [illegible] शर्मा	श्री वासुदेव शर्मा	सराय मिश्र एटा	सदस्य	सर्विस

1– संयुक्त खाता – प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष का होगा ।
2– कार्यकारी रजिस्टर = [illegible] पेज पर सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षर सहित
3– एजेण्डा रजिस्टर = [illegible] पेज पर "
4– सदस्यता रजिस्टर = "
5– कैश बुक = दो पेज पर अध्यक्ष, प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर
6 प्रबन्धक अथवा अध्यक्ष का फोटो (जो व्यक्ति मुख्य हो)
7 सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के पते के सत्यापन ।

N.B.S (नीलम विजेन्द्र सिंह)

Atul Kr. Singh

N.B.S. SHIKSHA NIKETAN SAMITI, GALI KARBALA G.T. ROAD ETAH — Secretary/Manager

03

.स्था का नाम :- एन0 वी0 एस0 शिक्षा निकेतन समिति,
गली करवला निकट रोडवेज बस स्टैण्ड जी0 टी0 रोड, एटा ।
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की सूँची वर्ष:-2019-2020

क्र0सं0 नाम	पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1-श्रीमती नीलम सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	सराय मिश्र, एटा ।	अध्यक्ष	गृहकार्य
2- मेघा सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	सराय मिश्र, एटा ।	उपाध्यक्ष	गृहकार्य
3-श्री अतुल कुमार सिंह	श्री विजेन्द्र सिंह	477, सराय मिश्र, एटा ।	प्रबन्धक / सचिव	व्यापार
4-श्रीमती गीतिका सिंह	श्री अतुल कुमार सिंह	477, सराय मिश्र, एटा ।	उपप्रबन्धक / उपसचिव	व्यापार
5-श्री वाई0 के0 सिंह	श्री नेत्रपाल सिंह	टी0-37, पार्केट टी0 मेरठ ।	कोषाध्यक्ष	सेवा नि0
6-श्रीमती कुसुम सिंह	श्री वाई0 के0 सिंह	टी037, पार्केट टी0 मेरठ ।	सदस्य	गृहकार्य
7-श्री नीलेश सिंह	श्री वाई0 के0 सिंह	141, सीशिपरा सोसा0 इन्द्रापुरम् गाजियाबाद ।	सदस्य	सर्विस
8-श्रीमती चित्रा सिंह	श्री नीलेश सिंह	141, सीशिपरा सोसा0 इन्द्रापुरम् गाजियाबाद ।	सदस्य	गृहकार्य
9-श्री आभाषवीर सिंह	श्री वाई0 के0 सिंह	141, सीशिपरा सोसा0 इन्द्रापुरम् गाजियाबाद ।	सदस्य	सर्विस
10-श्रीमती शिखा गौतम	श्री आभाषवीर सिंह	141, सीशिपरा सोसा0 इन्द्रापुरम् गाजियाबाद ।	सदस्य	गृहकार्य
11-श्री कृष्ण देव शर्मा	श्री वासुदेव शर्मा	सराय मिश्र, एटा ।	सदस्य	सर्विस

Atul Kr Singh
Geetika Singh
Megha Singh
नीलम सिंह

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
26.2.2020

N.B.S. SHIKSHA NIKETAN SAMITI, GALI KARWALA G.T. ROAD ETAH
Secretary Manager
Atul Kr Singh